

सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०

7वां तल पी.सी.एफ. भवन, 32-स्टेशन रोड, लखनऊ-226001

Ph. No.: 0522-2630877, Fax No.:0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक: 352/सो.आ.नि.-259/2016

दिनांक: ०८ अगस्त, 2016

प्रेषक,

निदेशक,

सोशल आडिट, उ०प्र०,

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,

भारतीय स्टेट बैंक,

अशोक मार्ग, लखनऊ।

विषय: बचत खाता सं० 33334969131 से जिला विकास अधिकारियों के जनपद में खुले खाते में धनराशि हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि जिला विकास अधिकारी, बदायूं को उनके जनपद में कार्यरत ब्लाक सोशल आडिट कोऑर्डिनेटर्स के भिन्न विकास खण्ड में आडिट करने हेतु दैनिक भत्ता एवं यात्रा व्यय की धनराशि भारतीय स्टेट बैंक में "जिला विकास अधिकारी, सोशल आडिट" के नाम खुले खाते में निम्नांकित धनराशि हस्तान्तरण हेतु अधिकृत किया जाता है:-

क्रमांक	जनपद	खाता संख्या	शाखा तथा ब्रान्च कोड सं०	आई.एफ.एस.सी. कोड	E-Transfer द्वारा कॉलम 3 में बैंक खाता में हस्तान्तरित होना है
1	2	3	4	5	6
1	बदायूं	33665013420	बदायूं 623	SBIN0000623	51,864
(रुपये इक्यावन हजार आठ सौ चौंसठ मात्र)				TOTAL	51,864

भवदीय

(कृष्ण गोपाल)

अपर निदेशक (वित्त)

(राजवर्धन)

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या: 352 / सो.आ.नि.-259 / 2016, तददिनांक:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला विकास अधिकारी, बदायूं को उनके पत्र सं० 1275/सो.आ.को./2015-16 दिनांक 27-02-2016 इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्तवत् धनराशि भिन्न विकास खण्डों में किये गये सोशल आडिट हेतु दैनिक भत्ता एवं यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की धनराशि अपने जनपद में कार्यरत ब्लाक सोशल आडिट कोऑर्डिनेटर्स विभिन्न तिथियों में किये गये आडिट से सम्बन्धित है। जिला विकास अधिकारी द्वारा उक्त मद में आवंटित धनराशि सीमा के अन्तर्गत भुगतान वित्तीय नियमों के अन्तर्गत अपने अभिलेखों के आधार पर करना सुनिश्चित करेंगे। यह मात्र आवंटन है वित्तीय स्वीकृति नहीं है। भुगतान से संबंधित सभी अभिलेख महालेखाकार/निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आडिट के लिए सुरक्षित रखे जाएं।

(कृष्ण गोपाल)

अपर निदेशक (वित्त)